राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोनः– 2701596 E-mail: rajssaquality@gmail.com फैक्सः– 2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/ गुणवत्ता/2018–19 3861 दिनांक 23/7/18

जिला शिक्षा अधिकारी/
प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त जिले।

विषय – प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय अवलोकन 2018–19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक अवलोकन निर्धारित नियमानुसार एवं मापदण्डानुसार समस्त उत्कृष्ट एवं प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का किया जाना है। सत्र 2018–19 में शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियो (DEEO/ADEEO/ADPC/APC/PA/Other), ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों (बीईईओ, एबीईओ, आरपी), पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मापदण्डानुसार नियमित विद्यालय अवलोकन किये जाने है। इस हेतु निम्न कार्य सम्पादित करावें:–

- शाला दर्शन पोर्टल पर प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों जो स्थानान्तरित/पदोन्नत हो गये है उनका पंजीकरण अद्यतन कर नवीन कार्यग्रहण करने वालो का पंजीकरण कराना।
- नियमित विद्यालय अवलोकन कर प्रपत्र शाला दर्शन पोर्टल पर जिला/ ब्लॉक लॉग –इन से अपलोड करना।
- समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने ग्राम पंचायत के समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों का माह में न्यूनतम एक बार व अन्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का दो माह में न्यूनतम एक बार अवलोकन कराना सुनिश्चित करावें।

जिला सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में कार्यरत जिला एमआईएस इन्चार्ज उक्त कार्य हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करें एवं पंजीकरण का कार्य करना सुनिश्चित करें।

नोटः– सत्र 2018–19 में विद्यालय अवलोकन हेतु "विद्यालय अवलोकन प्रपत्र" शाला दर्शन वेब पोर्टल से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में प्रिन्ट करावें।

संलग्नः– अवलोकन मापदण्ड

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/गुणवत्ता/2018–19/ 3862 **दिनांकः** 23/7/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त संभाग।
6. अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले
7. एपीसी, एसएसए समस्त जिलों को निर्देशित किया जाता है कि जिले में निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय अवलोकन सुनिश्चित करवाते हुए पोर्टल पर आनॅलाईन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. बीईईओ, प्रा. शि. समस्त जिले।
9. पीईईओ समस्त।
10. कार्यालय प्रति।

(डॉ0 प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त, गुणवत्ता

C:\Users\renuka\Desktop\Training Files\ANIL TRAINING & CCE\Training letter anil.docx

(216)

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

rajssaquality@gmail.com Ph-2701596

क्रमांक : राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / विद्यालय अवलोकन / 2017–18 /15784 दिनांक : 17.08.2017

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले।

विषय – विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के मानदण्ड निर्धारण हेतु।
संदर्भ – परिषद् के पत्र क्रमांक राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / विद्यालय अवलोकन / 2017–18 / 2171–72 / 30.05.2017

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आयुक्त महोदय, राप्राशिप,जयपुर एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा विद्यालय अवलोकन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। सत्र 2017–18 में संदर्भित दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का अवलोकन किया जावेगा। प्रत्येक अवलोकनकर्ता गोद लिये गये उत्कृष्ट विद्यालयों में से प्रतिमाह 50 प्रतिशत उत्कृष्ट विद्यालयों का अवलोकन आवश्यक रूप से करें। विद्यालय अवलोकन हेतु राज्य / जिला / ब्लॉक / पीईईओ एवं अन्य अधिकारियों के लिए प्रतिमाह के निम्नांकित मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं।

विद्यालय अवलोकन हेतु राज्य / जिला / ब्लॉक / पीईईओ के लिए प्रतिमाह के मानदण्ड

स्तर	अधिकारी	अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या
राज्य	राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के जिला प्रभारी	2
	निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकारी	2
	एसआईईआरटी के अधिकारी / संकाय सदस्य	1
	संभाग स्तरीय उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य अधिकारी	2
जिला	जिला शिक्षा अधिकारी ,प्रारम्भिक शिक्षा / जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान	5
	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी / शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी , प्रारम्भिक शिक्षा	5
	अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा	8
	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	5
	डाइट फेकल्टी	1
	सहायक परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	8
	कार्यक्रम सहायक, सर्व शिक्षा अभियान	8

www.rajteachers.com

ब्लॉक	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO)	8 • पीईईओ के क्षेत्राधिकार से शेष विद्यालयों (शहरी क्षेत्र के विद्यालय) का सधनता से निरीक्षण। • ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के निरीक्षण का दायित्व भी रहेगा। न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों का चिह्निकरण कर प्राथमिकता से अवलोकन किय जावे।
	अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (ABEEO)	12
	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	• उत्कृष्ट विद्यालय का माह में एक बार अवलोकन • पंचायत क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों का दो माह में एक बार अवलोकन
	संदर्भ व्यक्ति	15

समस्त अवलोकनकर्ता अधिकारी निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय अवलोकन कर संलग्न अवलोकन प्रपत्र में सूचना भरकर जिला लॉगिन, ब्लॉक लॉगिन एवं पीईईओ लॉगिन से ऑनलाइन फीडिंग करा देने के पश्चात ही विद्यालय अवलोकन माना जावेगा, अतः विद्यालय अवलोकन करने के पश्चात निर्धारित प्रपत्र आवश्यक रूप से ऑनलाइन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न– विद्यालय अवलोकन प्रपत्र

(जस्सा राम)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/विद्यालय अवलोकन/2016–17/5785 **दिनांक :** 17.08.2017

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना समन्वयक, रामाशिप,जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप,जयपुर।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले।
10. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

17/8/17
अतिरिक्त आयुक्त

www.rajteachers.com

विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम सम्बन्धित सामान्य दिशा–निर्देश

विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त अधिकारियों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित –

- नियमित विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम में अधिकारियों के पंजीकरण का ऑनलाइन मॉडयूल शाला दर्शन पोर्टल पर दिनांक 23.07.2018 से प्रारम्भ कर दिया गया है।
- जिले के एमआईएस लॉगिन से जिले के समस्त अधिकारियों (कलक्टर, सीईईओ एवं एडीएम सहित) एवं ब्लॉक लॉगिन से ब्लॉक के समस्त अधिकारियों (एसडीएम, तहसीलदार, सीडीपीओ एवं बीडीओ सहित) का पंजीकरण किया जाना है।
- पंजीकरण के दौरान सम्बन्धित अधिकारी का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, मोबाइल नम्बर की पूर्ति कर विद्यालयों का चयन करना है।
- सत्र 2017–18 में पंजीकृत किये गये अधिकारियों की सूचना में यदि कोई परिवर्तन है तो उन सूचनाओं को अपडेट किया जा सकता है। पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- जिला एवं ब्लॉक के समस्त अधिकारी पूर्व में आवश्यक रूप से 10–10 उत्कृष्ट विद्यालय का चयन करेगें तदोपरान्त शेष रहे विद्यालयों का चयन किया जा सकेगा।
- यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों का चयन कर लिया जायें तथा कोई विद्यालय शेष नहीं रहे।

विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रपत्र 2018–19 अपलोड करने से सम्बन्धित –

- नियमित विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के अन्तर्गत **"विद्यालय अवलोकन प्रपत्र 2018–19"** को अपलोड करने के लिए शाला दर्शन पोर्टल पर नये ऑनलाइन मॉडयूल को दिनांक 23.07.2018 से प्रारम्भ कर दिया गया।
- जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों के प्रारूपों की फीडिंग जिला एमआईएस लॉगिन से की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों के प्रारूपों की फीडिंग ब्लॉक लॉगिन (बीईईओ) से की जायेगी।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों की फीडिंग सम्बन्धित पीईईओ के लॉगिन से स्वतः की जानी है।

www.rajteachers.com